



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072026-274062  
CG-DL-E-03072026-274062

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3475]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2026/आषाढ 12, 1948

No. 3475]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2026/ASHADHA 12, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2026

**का.आ. 3610(अ).**— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे उक्त अधिनियम से सन्दर्भित किया) की धारा 147 के साथ पठित धारा 400(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, यह निर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 393(1)[तालिका क्रमांक 2] के अंतर्गत किसी व्यक्ति (एतश्मिन् पश्चात् पट्टाधारक के रूप में सन्दर्भित) द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाई (एतश्मिन् पश्चात् पट्टाकर्ता के रूप में से सन्दर्भित) को किसी जहाज के पट्टे के लिए किए गए पट्टे के किराए या पूरक पट्टे के किराए के भुगतान पर कोई कर कटौती नहीं की जाएगी, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें लागू हों:-

1. (1) पट्टाकर्ता -

(क) पट्टाधारक को इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र सं. 1(एन) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे उक्त प्रपत्र के रूप में सन्दर्भित) में एक विवरण-सह-घोषणा प्रस्तुत करेगा, जिसमें उन बीस निरंतर कर वर्षों का विवरण दिया गया हो जिनके लिए पट्टाकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 147 के तहत कटौती का दावा करने का विकल्प चुनता है; और

(ख) ऐसा विवरण-सह-घोषणा उक्त प्रपत्र में निर्दिष्ट प्रकार से उन बीस लगातार कर वर्षों में से प्रत्येक कर वर्ष के लिए प्रस्तुत और सत्यापित किया जाएगा, जिसके लिए पट्टाकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 147 के तहत कटौती का दावा करने का विकल्प चुनता है;

(2) पट्टाधारक –

(क) पट्टाकर्ता से उक्त प्रपत्र में विवरण-सह-घोषणा की प्रति प्राप्त होने की तिथि के बाद से पट्टाकर्ता को किए गए या जमा किए गए भुगतान पर कर की कटौती नहीं करेगा; और

(ख) आयकर नियम, 2026 के नियम 219 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 397(3)(ख) में उल्लिखित कर कटौती विवरण में पट्टाकर्ता को किए गए उन सभी भुगतानों का विवरण भी प्रस्तुत करेगा जिन पर इस अधिसूचना के मद्देनजर कर की कटौती नहीं की गई हो।

2. उपरोक्त छूट पट्टाकर्ता को केवल उन बीस लगातार कर वर्षों के दौरान ही उपलब्ध होगी, जिन्हें पट्टाकर्ता द्वारा उक्त प्रपत्र में घोषित किया गया हो जिसके लिए धारा 147 के तहत कटौती का विकल्प चुना जा रहा है, और पट्टाधारक किसी भी अन्य वर्ष के लिए पट्टे के किराए के भुगतान पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी होगा।

3. आयकर (प्रणाली) के प्रधान महानिदेशक या आयकर (प्रणाली) के महानिदेशक, जो भी हों, डेटा के सुरक्षित संग्रहण और प्रसारण तथा दस्तावेजों के अपलोड करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं, प्रारूप और मानक निर्धारित करेंगे और वे उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, –

- (क) “जहाज” का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम की अनुसूची VI (नोट 3) में दिया गया है;
- (ख) “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र” का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (क्यू) में दिया गया है; और
- (ग) “इकाई” का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2(जेडसी) में दिया गया है।
4. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।

फॉर्म सं. 1(एन)

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (भुगतान प्राप्तकर्ता) के जहाज को पट्टे पर देने के व्यवसाय में लगी इकाई द्वारा पट्टाधारक (भुगतानकर्ता) को प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण-सह-घोषणा पत्र:

भाग-क			
1.	नाम	(नोट 1 देखें)	
2.	पैन		
3.	आईएफएसएफ में स्थित इकाई का नाम	(नोट 1 देखें)	
4.	आईएफएस में स्थित इकाई का पता	(नोट 2 देखें)	
5.	दूरभाष संख्या	देश कोड	संख्या
6.	ईमेल आईडी		
7.	कर वर्ष		

भाग-ख		
8.	“प्रासंगिक कर वर्ष” निर्धारित करने के प्रयोजन से, प्राप्त अनुमति या पंजीकरण का विवरण	
(i)	अनुमति या पंजीकरण प्राप्त किया गया (एक का चयन करें)	(क) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 23(1)(क); या (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15); या (ग) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50); या (घ) आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 147 में उल्लिखित कोई अन्य प्रासंगिक कानून।
(ii)	प्राधिकारी	
(iii)	दिनांक	दिन/महीना/वर्ष
(iv)	संदर्भ संख्या	
9.	जिस अवधि के लिए कटौती का दावा करने का विकल्प चुना गया है:	
(i)	कर वर्ष से:	
(ii)	कर वर्ष तक:	
10.	वह प्रारंभिक कर वर्ष जिसके लिए कटौती का दावा किया गया था	

**कथन-सह-घोषणा**

मैं ..... (घोषणाकर्ता का नाम), स्थायी खाता संख्या ....., ..... (भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम) के ..... के रूप में, एतद्वारा, घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त इकाई जहाज पट्टे पर देने के व्यवसाय में लगी हुई है और आयकर अधिनियम, 2025 (30 ऑफ 2025) की धारा 147 के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र है।

मैं आगे और भी घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई ने कर वर्ष..... से कर वर्ष..... तक की अवधि के लिए उक्त कटौती का दावा करने का विकल्प चुना है।

मैं आगे और भी घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त इकाई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कार्यरत एक इकाई बनी हुई है और इस कथन-सह-घोषणा को प्रस्तुत किए जाने वाले कर वर्ष ..... के दौरान ..... के व्यवसाय में लगी हुई है।

**सत्यापन**

मैं ..... (भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम) निवासी के रूप में प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान:

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक:

नाम:

पदनाम:

[आयकर अधिनियम, 2025 (30 ऑफ 2025) की धारा 265 के अनुसार आय विवरण पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है।

नोट:-1. नाम पूरा लिखा जाना चाहिए।

नोट:-2. पते में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए: (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/इलाका, (vii) जिला, (viii) राज्य

नोट:-3. फॉर्म में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी हो सकती है।

[अधिसूचना सं. 75/2026/फा.सं. 275/18/2026-आईटी(बी)]

राजेन्द्र कुमार मीना, अवर सचिव

**स्पष्टीकरण ज्ञापन:** एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होने पर किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd July, 2026

**S.O. 3610(E).**— In exercise of the powers conferred by section 400(1) read with section 147 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby specifies that no deduction of tax shall be made under section 393(1)[Table S.No.2] of the said Act on payment in the nature of lease rent or supplemental lease rent, as the case may be, made by a person (hereinafter referred to as the lessee) to a person being a Unit of an International Financial Services Centre (hereinafter referred to as the lessor) for lease of a ship subject to the following, namely:-

1. (1) The lessor shall –
  - (a) furnish a statement-cum-declaration in Form No. 1(N) annexed to this notification (hereinafter referred to as the said Form) to the lessee giving details of twenty consecutive tax years for which the lessor opts for claiming deduction under section 147 of the said Act; and
  - (b) such statement-cum-declaration shall be furnished and verified in the manner specified in the said Form, for each tax year out of twenty consecutive tax years for which the lessor opts for claiming deduction under section 147 of the said Act;
- (2) The lessee shall —
  - (a) not deduct tax on payment made or credited to lessor after the date of receipt of copy of statement-cum- declaration in the said Form from the lessor; and
  - (b) also furnish the particulars of all the payments made to lessor on which tax has not been deducted in view of this notification in the statement of deduction of tax referred to in section 397(3)(b) of the said Act read with rule 219 of the Income-tax Rules, 2026.
2. The above relaxation shall be available to the lessor only during the said twenty consecutive tax years as declared by the lessor in the said Form for which deduction under section 147 is being opted and the lessee shall be liable to deduct tax on payment of lease rent for any other year.
3. The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and uploading of documents and they shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies.

*Explanation.* – For the purposes of this notification, –

- (a) “ship” shall have the same meaning as assigned to it in Schedule VI (Note 3) of the said Act;
  - (b) “International Financial Services Centre” shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005); and
  - (c) “Unit” shall have the same meaning as assigned to it in section 2(zc) of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).
4. This notification shall be deemed to have come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2026.

**FORM No. 1(N)**

**Statement-cum-Declaration to be furnished by a Unit engaged in the business of leasing of a ship of an International Financial Services Centre (payee) to the Lessee (payer)**

PART-A			
1.	Name	(refer Note 1)	
2.	PAN		
3.	Name of the unit located in IFSC	(refer Note 1)	
4.	Address of the unit located in IFSC	(refer Note 2)	
5.	Contact number	Country Code	Number
6.	Email ID		
7.	Tax year	YYYY-YY	

<b>PART-B</b>		
<b>8.</b>	<b>For the purposes of determining “relevant tax year”, the details of permission or registration obtained</b>	
<b>(i)</b>	<b>Permission or Registration Obtained under</b> <i>(select one)</i>	section 23(1)(a) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949); or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992); or the International Financial Services Centre Authority Act, 2019 (50 of 2019); or any other relevant law as mentioned in section 147 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025).
<b>(ii)</b>	<b>Authority</b>	
<b>(iii)</b>	<b>Date</b>	<i>dd/mm/yyyy</i>
<b>(iv)</b>	<b>Reference number</b>	
<b>9.</b>	<b>Period for which the deduction is opted to be claimed:</b>	
<b>(i)</b>	<b>From tax year :</b>	
<b>(ii)</b>	<b>To Tax year :</b>	
<b>10.</b>	<b>Initial tax year for which deduction was claimed</b>	<i>YYYY-YY</i>

#### Statement-cum-Declaration

I .....(name of the declarant) having Permanent Account Number ..... in capacity as ..... of .....(name of the payee), do hereby declare that the above-mentioned Unit is engaged in the business of leasing of a ship and is eligible for deduction under section 147 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025).

I further declare that the above-mentioned International Financial Services Centre Unit has opted to claim the said deduction for the period from the tax year..... to the tax year.....

I further declare that the above mentioned Unit continues to be a unit working in International Financial Services Centre and continues to be engaged in the business of ..... during the tax year ..... in which this statement-cum- declaration is being submitted.

#### Verification

I..... in capacity as..... of..... (name of the payee) do hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place:

Signature of the declarant

Date:

Name:

Designation:

[To be signed by a person competent to sign the return of income as provided in section 265 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025)].

Note:-1. The name shall be provided in full.

Note:-2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District, (viii) State

Note:-3. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

[Notification No. 75/2026/F.No. 275/18/2026-IT(B)]

RAJENDRA KUMAR MEENA, Under Secy.

**Explanatory Memorandum:** It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.